उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-24 /वसूली/नीलामी प्रकाशन/2017-18 दिनांक : 25-5-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि बैंक द्वारा वर्तमान समय में वसूली वर्ष 2016-17 का विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी बैंक की वसूली में अशातीत प्रगति नही हो सकी है। दिनांक 23.05.17 की दैनिक वसूली से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंक की वसूली गतवर्ष की अपेक्षा आलोच्य अवधि में लगभग रू0 217 करोड़ से पीछे है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय स्तर से वसूली में गति लाने हेतु समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं उनमें मुख्य रूप से एक लाख से बड़े बकायेदार, बन्धकग्रस्त भूमि की नियमों के विरूद्ध की गयी बिक्री से सम्बन्धित बकायेदार तथा शून्य ऋण वसूली वाले खातों से सम्बन्धित ऋण के बकायेदारों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है।

उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर बकायेदारों के विरूद्ध उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली 1971 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत भी बकायेदारों के विरूद्ध बन्धक भूमि की नीलामी नियमों के अन्तर्गत कराये जाने की भी अपेक्षा मुख्यालय स्तर से की जाती रही है। इस बीच कतिपय शाखाओं द्वारा मुख्यालय को उक्त नियमावली के नियम 29 के अन्तर्गत दैनिक समाचार पत्रों में भूमि की नीलामी की नोटिस का प्रकाशन कराये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि यदि उक्त नोटिस के प्रकाशन की अनुमति की केन्द्रीकृत व्यवस्था में शिथिलता प्रदान करते हुए उसे शाखा/जनपद स्तर पर दे दिया जाय, तो इस दिशा में त्वरित गति से कार्यवाही सम्पादित हो सकेगी।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत दैनिक समाचार पत्रों में नीलामी नोटिस प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1-समस्त शाखा प्रबन्धक जिनके द्वारा नियम 29 के अन्तर्गत प्रकाशन कराये जाने के पूर्व उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हों, वह प्रकाशन कराये जाने से सम्बन्धित बकायेदारों की सूची तत्काल अपने जनपद की शाखा पर उपलब्ध करा दें।

2-जनपद के शाखा प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्तानुसार जनपद की शाखाओं से प्राप्त सूची का संकलन कराते हुए जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता को उपलब्ध करवायेंगे और उनके माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी, ताकि उक्त नोटिस का प्रकाशन राजकीय दर पर कराया जा सके।

3-जनपदीय शाखा प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रश्नगत नोटिस का प्रकाशन जनपद के प्रतिष्ठित सर्वाधिक प्रचलित दैनिक समाचार पत्र यथा- दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला आदि में ही कराया जाय। किसी भी दशा में उक्त नोटिसों का प्रकाशन जनपद से प्रकाशित होने वाले सांध्यकालीन समाचार पत्र अथवा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में नही कराया जायेगा।

बैंक मुख्यालय द्वारा बन्धकग्रस्त भूमि की नीलामी किये जाने से सम्बन्धित पूर्व निर्गत परिपत्रों में उल्लिखित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

25.5.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. समस्त जनपदीय शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ, को इस निर्देश के साथ कि वे अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपद/मण्डल की समस्त ऐसी शाखाएं, जिनके द्वारा नियम 29 के प्रकाशन हेतु उक्त नियमावली में वर्णित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हों, से सम्बन्धित बकायेदारों की सूची यथाशीघ्र जनपदस्तरीय शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें और यह भी सुनिश्चित करायें कि उपरोक्तानुसार बकायेदारों की सूची का प्रकाशन नियम 29 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में माह जून, 2017 के द्वितीय सप्ताह तक हो जाय। इस हेतु व्यक्तिगत रूप से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता से भी सम्पर्क कर उक्त कार्य त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करायें।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार प्रकाशन हेतु शाखा स्तर से सूची प्राप्त होने पर उनका प्रकाशन राजकीय दरों पर कम से कम स्पेस में उपरोक्तानुसार उल्लिलिखत स्थानीय स्तर पर प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में करवाने का कष्ट करें।
4. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ, को सूचनार्थ।
5. मा0 सभापति के निजी सचिव, को सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) को, बैंक की समस्त शाखाओं को ई0मेल कराने हेतु।

(ए0के शुक्ला)
महाप्रबन्धक (प्रशा0/वसूली)